प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 08–09 अक्टूबर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08–09 अक्टूबर, 2018 को राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं यथा केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, राजस्व संग्रहण आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गयी। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना :–

- नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नाली एवं गली की लंबाई तथा आच्छादित घरों की पूर्ण जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि निर्मित योजनाओं से आच्छादित घरों की संख्या, निर्मित गली की एवं नाली की लंबाई (मीटर में) आदि का प्रपत्र तैयार कर विभाग से भेजा जाय ताकि वे पूर्ण विवरणी के साथ MIS को उपलब्ध करा सके।

हर घर नल जल निश्चय योजना :–

- सर्वप्रथम नल–जल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बी0आर0जे0पी0 द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:–

  जगदीशपुर नगर पंचायत– कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पाईप में लीकेज एवं रोड कटिंग की समस्या के संबंध में बताया गया। तदनुसार बी0आर0जे0पी0, अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अविलंब उक्त समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

  आरा नगर निगम– राज्य योजना अन्तर्गत नल–जल योजना के धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त किया गया। अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 द्वारा बताया गया कि कैनाल क्रॉसिंग हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि अधीक्षण अभियंता, बी0आर0जे0पी0 स्वंय आरा जाकर इस दिशा में समन्वय स्थापित करें तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करायें।

  गोपालगंज नगर परिषद– कार्यपालक पदाधिकारी ने पाईप में लीकेज की समस्या एवं बी0आर0जे0पी0 के अभियंताओं द्वारा समस्या पर ध्यान नहीं देने के संबंध में शिकायत किया है। निदेश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता कार्यपालक पदाधिकारी के संबंध में रहे एवं समस्याओं का तुरन्त निराकरण करें अन्यथा उचित कार्रवाई की जायेगी।

  दरभंगा नगर निगम– बी0आर0जे0पी0 के अधीक्षण अभियंताओं को रोड वाईज एवं वार्ड वाईज गृह जल संयोजन का विवरण नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही पाईप लाईन में Pressor नहीं रहने के संबंध में भी आवश्यक समाधान करने का निदेश दिया गया।

रफीगंज नगर पंचायत– भूगर्भ जल समस्या के कारण बोरिंग का कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। इस क्रम में उप सचिव श्री प्रोज्ज्वल को निदेश दिया गया कि वे रफीगंज जाकर जलापूर्ति हेतु water source का अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करें।

जोगबनी नगर पंचायत–कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नल–जल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी संवेदक द्वारा निविदा नहीं दिया जा रहा है। निदेश दिया गया कि नोडल पदाधिकारी स्वयं जाकर स्थिति का आकलन करें कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा सकती है।

बी0आर0जे0पी0 के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि राज्य योजना अन्तार्गत आंशिक आच्छादित वार्डों को पूर्ण करने हेतु कुल 22 नगर निकायों में विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में 17 नगर निकायों में संवेदक को LOA निर्गत किया जा चुका है तथा शेष 05 जगहों पर इस माह के अन्त तक LOA निर्गत कर दिया जायेगा।

गृह जल संयोजन में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के संबंध में बी0आर0जे0पी0 को कड़ा निर्देश दिया गया कि प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता संवेदकों के साथ बैठक कर गृह जल संयोजन के कार्य में तेजी लाये तथा आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाय।

सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि नल–जल योजनांतर्गत अवशेष वार्डों में जहाँ निविदा अभी तक नहीं निकाली गयी है, वहाँ इस माह के अंत तक हर हालत में निविदा प्रकाशित करा ली जाय। इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

सभी कार्यपालक पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वे सभी आवश्यक जानकारी नगर निकाय से संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करायें ताकि उनके द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया जा सकें। वर्त्तमान में कार्यपालक अभियंता को सूचनाएँ अप्राप्त रहने के कारण उन्हें पर्यवेक्षण करने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में विभागीय प्रशाखा–2 को निदेश दिया गया कि वे इस आशय का निदेश सभी कार्यपालक अभियंता को संसूचित करें।

SBM योजना -

- **SOLID WASTE MANAGEMENT-**

  बताया गया कुल 43 ULBs का Solid Waste Management का DPRs तैयार कर NIT, Patna से Vetting करवा लिया गया है। जिसे अब अनुमोदन हेतु SHPC में भेजा जायगा तथा बाकी बचे ULB भी Co-ordinate कर अपना DPR तैयार करवा लें।

- **DOOR TO DOOR COLLECTION-**

i. समीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ के नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ सभी वार्डों में Door to Door Collection का कार्य निकाय द्वारा ही कराया जायगा।

ii. दानापुर, नरकटियागंज, अरवल, नौगछिया, शेरघाटी नगर निकायों को एक सप्ताह के अंदर Door to Door Collection प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

iii. समीक्षा के क्रम में शिवहर, बड़हिया नगर निकायों द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ स्वयं एवं पीरो, भभुआ, मढ़ौरा, खुशरूपुर, सिलाव, टेकारी मे Door to Door Collection का कार्य Outsourcing के माध्यम से हो रहा है।

iv. अरवल, समस्तीपुर, मोतीपुर, नवीनगर नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ Door to Door Collection हेतु निविदा निकाली जा चुकी है।

v. निर्देश दिया गया कि ऐसे निकाय, जिनके द्वारा अभी तक Door to Door Collection का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, वे जल्द से जल्द इस कार्य को प्रारंभ कर मुख्यालय को सूचित करें।

- **SOURCE SGREGATION-**

समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पटना, बिहारशरीफ, मुँगेर, सिवान, जहानाबाद, हाजीपुर नगर निकायों के पदाधिकारियों द्वारा इन नगर निकायों में Source Segregation का कार्य करने की जानकारी दी गई।

सभी नगर निकायों को Source Segregation का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करने तथा अगर इस कार्य के लिए जरूरत हो, तो Household bin का क्रय GeM के माध्यम से की जा सकती है, साथ ही निदेश दिया गया कि जितने भी वाहन Door to Door Collection, Transportation आदि कार्यों में प्रयोग में लाये जाते हैं, उनमें गीला एवं सूखा कचड़ा अलग–अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय साथ ही अगर इन कार्यों हेतु नये वाहन का क्रय किया जाता है, तो उसमें भी गीला एवं सूखा कचड़ा अलग–अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

- **COMPOSTING-**

निदेश दिया गया कि सभी नगर निकाय Centralise अथवा Decentralise Composting हेतु उनके पास जमीन की उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि मुख्यालय स्तर से सभी जिला पदाधिकारी को उपरोक्त कार्य हेतु जमीन उपलब्ध कराने संबंधित पत्र लिखा जाय।

यह भी निदेश दिया गया कि वैसे निकाय, जहाँ Comopsting हेतु जमीन उपलब्ध है, उन नगर निकायों द्वारा जल्द से जल्द Composting Pit बनवाया जाय।

- **GeM PORTAL-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 नगर निकायों (मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सिवान, बोधगया, पटना, जहानाबाद, चनपटिया, बिहिया, जगदीशपुर, पीरो, परसा बाजार, आरा, दिघवारा, जमालपुर) द्वारा GeM के माध्यम से खरीदारी की गई है। अतः इन सभी नगर निकायों को उनके बगल के निकायों के साथ जोड़ा जाय ताकि वे भी उपरोक्त नगर निकायों की सहायता से GeM के माध्यम से खरीददारी कर सकें।

- **प्रचार–पसार**

सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि दुर्गा पूजा के उपरांत CSR Fund की वयवस्था हेतु सभी नगर निकाय अपने क्षेत्र के बड़े बैंक, उद्योग आदि के साथ एक बैठक कर इससे संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

AMRUT योजना :-

पार्क निर्माण योजना :

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर को दिनांक–31.10.2018 तक पार्क निर्माण/विकास हेतु जिलाधिकारी/महाप्रबंधक, रेलवे से समन्वय स्थापित कर पार्क के स्थल का चयन कर DPR समर्पित करने का निर्देष दिया गया।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर द्वारा बताया गया कि पार्क निर्माण अन्तर्गत Boundary wall का कार्य चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि Non-schedule items के quotation हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
- नगर निगम, बेगूसराय के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि धार्मिक न्यास परिषद, द्वारा पार्क निर्माण हेतु NOC नहीं दिया गया है। इन्हें निर्देष दिया गया कि पार्क निर्माण के संबंध में 31.10.2018 तक निर्णय लेकर निष्चित रूप से विभाग को सूचित किया जाय ताकि इस संबंध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय लिया जा सके।
- कनीय अभियंता, नगर निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु चौथी बार हुई निविदा में प्रथम बार एकल निविदाकार को तकनीकी निविदा में सफल घोषित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस योजना की पुनर्निविदा की गयी है। SAAP-II के अंतर्गत 3 पार्कों की भी निविदा की गयी है। उनके द्वारा बताया गया कि अमृत योजना अन्तर्गत पार्क की नई योजना विचाराधीन नहीं है।
- नगर आयुक्त, आरा नगर निगम द्वारा बताया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II में स्वीकृत पार्क योजना का कार्य प्रगति में है। इन्हें निर्देष दिया गया कि वार्ड नं0–45 अन्तर्गत प्रताप पार्क के DPR का Review कराकर पुनः समर्पित किया जाय।
- नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ के द्वारा बताया गया कि SAAP-I अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II एवं SAAP-III के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क हेतु site selection किए जाने की बात कही गई। M/s WAPCOS Ltd को पार्क का DPR तैयार करने हेतु पुनः निदेश दिया गया।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के Boundary wall का कार्य प्रगति में है। उनके द्वारा बताया गया कि एक और पार्क का DPR समर्पित किया गया है।
- नगर निगम, छपरा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क के निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गयी। उनके द्वारा अन्य पार्क के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि पार्क का SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III का समेकित DPR समर्पित किया गया है।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बगहा द्वारा पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil Work प्रगति में है। उनके द्वारा SAAP-II के अन्तर्गत 31.10.2018 तक T/S estimate समर्पित करने की बात कही गयी। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु DPR अविलम्ब समर्पित करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् सिवान द्वारा SAAP-1 के अन्तर्गत पार्क निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी दी गई। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गयी। SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण नहीं होने की बात कही गई। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु एक सप्ताह में DPR समर्पित करने की बात कही गयी।

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा अमृत अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु निविदा करने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज द्वारा बताया गया कि SAAP-1 के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work पूर्ण हो चुका है। SAAP-I अन्तर्गत पार्क हेतु आवंटन की माँग की गई। SAAP-II एवं SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, सासाराम द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का civil work प्रगति में है, SAAP-II के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु C/S का अनुमोदन मुख्यालय द्वारा कर दिया गया है। उन्हें अविलम्ब एकरारनामा कर कार्य शुरू कराने का निर्देष दिया गया।
- नगर निगम, कटिहार के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क की निविदा तीन बार आमंत्रित की गई। किन्तु सफल नहीं हो सका। उनके द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की कार्रवाई की जा रही है। पुनर्निविदा की कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देष दिया गया।
- नगर निगम, पूर्णिया के उपस्थित प्रतिनिधि को पुनः निर्देष दिया गया कि अमृत योजना के SAAP-I एवं SAAP-II अन्तर्गत समेकित पार्क निर्माण की निविदा एक सप्ताह के अन्दर आमंत्रित की जाय। SAAP-III के अन्तर्गत पार्क निर्माण के DPR में आवष्यक संषोधन हेतु नगर निगम को निर्देष दिया गया।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डेहरी द्वारा अमृत योजनान्तर्गत पार्क हेतु जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कही गयी।
- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, बेतिया द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का Civil work 90 % पूर्ण हो चुका है। इनके द्वारा आवंटन की माँग की गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि SAAP-II के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का NOC बेतिया राज द्वारा नहीं दिया गया है। उन्हें इस संबंध में 31.08.2018 तक निर्णय लेने का निदेश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारी द्वारा तीसरे पार्क हेतु स्थल नहीं उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जमालपुर द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गयी।
- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सहरसा द्वारा बताया गया कि SAAP-I के अन्तर्गत स्वीकृत पार्क का एकरारनामा कर कार्य शुरू कराने की बात कही गयी।
- नगर निगम, भागलपुर के प्रतिनिधि द्वारा SAAP-I के अन्तर्गत बनने वाले लाजपत पार्क के संबंध में बताया गया कि पूर्व में आमंत्रित निविदा को रद्द किया जा चुका है एवं अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें SAAP-II अन्तर्गत भैरवा पार्क के DPR का Review कर समर्पित करने का निर्देष दिया गया। SAAP-III अन्तर्गत पार्क हेतु भूमि के अनुपलब्धता की बात कही गयी।
- नगर निगम, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क योजना का DPR अविलम्ब समर्पित किया जाय।

- कार्यपालक पदा०, नगर परिषद्, दानापुर द्वारा बताया गया कि AMRUT के अन्तर्गत पार्क हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है।
- नगर निगम, पटना के प्रतिनिधि को निर्देष दिया गया कि SAAP-I एवं SAAP-II (समेकित) अन्तर्गत पार्क निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, गया ने बताया कि SAAP-II अन्तर्गत पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्हें निर्देष दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत पार्क निर्माण का DPR 31.08.2018 तक समर्पित किया जाय।
- नगर पंचायत बोधगया के प्रतिनिधि को पुनः निदेश दिया गया कि SAAP-III अन्तर्गत AMRUT पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक–31.08.2018 तक प्राक्कलन समर्पित किया जाय। SAAP-II के अन्तर्गत अमृत पार्क का DPR भी दिनांक–31.08.2018 तक समर्पित करने का निर्देष दिया गया।
- सभी नगर निकायों को निर्देष दिया गया कि सभी पार्क योजनाओं के Non-schedule items के कोटेशन हेतु प्रक्रिया अविलम्ब आरम्भ की जाय ताकि पार्क योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब न हो।
- नगर परिषद् औरंगाबाद एवं नगर परिषद सीवान को तुरंत BRJP को अमृत योजना अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं का आवंटन BRJP को Transfer करने का निर्देष दिया गया।
- अमृत योजना अन्तर्गत सभी नगर निकायों को सभी अमृत योजनाओं के अविलम्ब 5 फोटोग्राफ Geo-tagging करने का निर्देष दिया गया।

(अनुपालन– संबंधित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदा०/BRJP/अभियंत्रण कोषांग/नोडल पदा०/प्रशाखा पदाधिकारी–03/WAPCOS Ltd.)

AMRUT **जलापूर्ति योजना** :–

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि हाजीपुर जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 64.830 km के विरूद्ध अभी तक 53.412 km पाईप बिछाया गया है तथा कुल प्रावधानित गृह जल संयोजन 9898 के विरूद्ध 3372 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया कि बक्सर जलापूर्ति योजना, फेज–1 में प्रावधानित 57.563 km के विरुद्ध 28.160 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 4739 के विरूद्ध 1597 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि छपरा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 72.985 km के विरूद्ध अभी तक 58.931 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 16474 के विरूद्ध 3060 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि बगहा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 46.548 km के विरूद्ध अभी तक 33.654 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 8730 के विरूद्ध 2137 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि जहानाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 37.002 km के विरूद्ध अभी तक 14.791 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 15318 के विरूद्ध 404 गृह जल संयोजन किया गया है।

- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि मोतिहारी जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 56.909 km के विरूद्ध अभी तक 11.878 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 7428 के विरूद्ध 667 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सिवान जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.738 KM के विरूद्ध अभी तक 44.994 KM पाइप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 10668 के विरूद्ध 3371 गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 49.555 km के विरूद्ध अभी तक 39.148 km पाईप बिछाया गया है तथा प्रावधानित गृह जल संयोजन 3770 के विरूद्ध शून्य गृह जल संयोजन किया गया है।
- कार्यपालक अभियंता, BRJP द्वारा बताया गया कि सहरसा जलापूर्ति योजना फेज–1 में प्रावधानित 189.584 km के विरूद्ध अभी तक 23.310 km पाईप बिछाया गया है जबकि प्रावधानित गृह जल संयोजन 28369 के विरूद्ध 1470 गृह जल संयोजन किया गया है।
- नगर निकायों द्वारा बताया गया कि पाईप लाईन बिछाने के क्रम में Restoration का कार्य नहीं कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि Restoration कार्य को अविलंब पूरा किया जाय ताकि किसी भी प्रकार की असुवधिा एवं दुर्घटना से बचा जा सके।
- यह भी निर्देष दिया गया कि औरंगाबाद और जमालपुर जलापूर्ति योजना का टेंडर जल्द सुनिश्चित किया जाय।
- यह भी निर्देश दिया गया कि BRJP एवं ULB के पदाधिकारियों के बीच नगर निकाय में नियमित साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित किया जाय।

<u>सबके लिए आवास (Housing For All)</u>–

- सभी परामर्शी संस्था को निदेष दिया गया कि वैसे नगर निकाय, जहाँ Demand Survey का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, उनका HFAPoA एवं AIP हर हाल 30.10.18 तक विभाग को उपलब्ध करा दें। साथ ही वैसे निकाय जहाँ Demand Survey का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं कराया गया है, उन नगर निकायों में हर हाल में 15.11.18 तक सर्वे पूर्ण कराकर उनका HFAPoA एवं AIP विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- वैसे निकाय, जहॉ काफी समय से HFAPoA एवं AIP बोर्ड से पारित हेतु लंबित है, उन निकायों को इस माह के अन्त तक बोर्ड की बैठक बुलाकर HFAPoA एवं AIP पारित करवाने का निदेष दिया गया।
- नगर द्वारा BLC घटक में स्वीकृत परियोजनाओं के षत प्रतिषत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं Adhaar Seeding नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा राषि की विमुक्ति नहीं की जा रही है। फलस्वरूप योजना की प्रगति बाधित हो रही है साथ ही राज्य को वित्तीय क्षति हो रही है।

  सभी नगर निकायों को स्वीकृत परियोजनाओं के शत–प्रतिशत लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं Adhaar Seeding अक्टूबर माह में पूर्ण करने का निदेश दिया गया। यदि किसी कारण से परियोजना में स्वीकृत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाना संभव न हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का बार बार निदेष दिया

गया है, परन्तु अधिकांश नगर निकायों द्वारा न तो परियोजनावार शत–प्रतिषत लाभुकों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और न ही प्रत्यर्पित किया गया है। यह स्थिति अत्यंत ही चिन्ताजनक है। पुनः निदेश दिया गया कि परियोजनावार स्वीकृत लाभुकों का षत प्रतिषत MIS प्रविष्टि, DPR से Attachment एवं Adhaar Seeding करके निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय अथवा निर्माण कार्य संभव नहीं होने पर लाभुकों का प्रत्यर्पण कर दिया जाय। यदि प्रत्यर्पण प्रस्ताव पर बोर्ड के अनुमोदन में विलम्ब हो रहा हो तो निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी उचित कारण दर्शाते हुए सीधे प्रत्यर्पण प्रस्ताव विभाग को भेज सकते है। इस कार्य को माह अक्टूबर 18 के अंत तक निष्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

- सभी परामर्षी संस्था को Demand Survey के तहत लिए गये आवेदन पत्र को संबंधित नगर निकाय में जमा कराने का निदेष दिया गया।
- परामर्षी संस्था द्वारा किये गये Demand Survey में BLC घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदन एवं निकाय द्वारा स्वीकृत कराये गये आवासों के बीच काफी अंतर पाया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्रांक–1613 दिनांक– 10.07.2018 के माध्यम से प्रस्ताव की मांग की गयी थी लेकिन अधिकांष निकायों द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेष दिया गया कि जिन नगर निकायों द्वारा मांग के अनुरूप प्रस्ताव नहीं भेजा गया है उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाया जाय। वैसे नगर निकाय, जिनमें पूर्व से स्वीकृत आवासीय इकाईयों में कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया, उन निकायों यथाः–

- अररिया फेज–III, बाढ़ फेज– I एवं फेज–II, वीरपुर फेज–II, चकीया फेज–II एवं फेज–III, डुमरांव फेज–II, कसवा फेज–I, खगड़ीया फेज–II, मोतीपुर फेज–II, पटना फेज–I, मोकामा फेज–II बखरी फेज–II, III एवं IV, रफीगंज फेज–III, रोसड़ा फेज–I, सेरघाटी फेज–II, अरेराज फेज–II, बिहार शरीफ फेज–II, मनिहरी फेज–II, गया फेज– III, पकड़ीदयाल फेज–II, गोगरी जमालपुर फेज–II एवं फेज–III, बैरगनिया फेज–II, सुलतानगंज फेज–II, वारसलीगंज फेज–IV, जनकपुर रोड फेज–II, मुरलीगंज फेज–II, एकमा फेज–II, बिहट फेज–II, नगर निकायों को आवासीय इकाईयों में निर्माण कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में प्रारंभ करने का निदेष दिया गया।

वैसे नगर निकाय जहाँ पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में लाभुकों का PMAY MIS पोर्टल पर MIS Entry एवं DPR से संबंद्ध नहीं किया गया है, उन निकायों यथाः–

- अमरपुर फेज–II, फतुआ फेज–II, सिमरी बख्तियारपुर फेज–II एवं III, किशनगंज फेज–II, कटिहार फेज–II एवं III, काँटी फेज–II एवं III, परसा बाजार फेज–II एवं III, रिविलगंज फेज–II, कसबा फेज–II, गया फेज–I एवं II, पूर्णिया फेज–I एवं II, मोकामा फेज–II एवं III, अररिया फेज–III, बिक्रमगंज फेज–I, गोगरी जमालपुर फेज–II एवं III, बाढ़ फेज–I, रोसड़ा फेज–I, बिहारषरीफ फेज–II, कटैया फेज–II, नौगछिया फेज–II, पकड़ीदयाल फेज–II, वारसलीगंज फेज–II, महुआ फेज–II, बखरी फेज–IV, नोखा फेज–II, अररिया फेज–II एवं हिसुआ फेज–IV नगर निकायों में लाभुकों का भारत सरकार के पोर्टल पर PMAY MIS पर षत–प्रतिषत MIS Entry एवं DPR (Annexure) से संबंद्ध नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा राषि निर्गत नहीं की गयी है। साथ ही माह सितम्बर 2018 में 54 नगर निकायों में 50017

आवासों की स्वीकृति भागर सरकार द्वारा दी गयी है, परन्तु MIS Entry एवं DPR (Annexure) से लाभूकों को संबद्ध नहीं किये जाने के कारण भारत सरकार द्वारा राषि की विमुक्ति नहीं की गयी है। संबंधित सभी नगर निकायों को वर्णित सभी कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करने का निदेष दिया गया।

NULM योजना :–

EST&P घटक–

- NCVT मे जिन लाभुकों का अबतक Assessment नही कराया गया है, उसकी एक अद्यतन सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि इन लाभुकों की सूची MoHUA को उपलब्ध कराकर इनका प्रमाणीकरण पूर्ण किया जा सके।
- इस घटक के अन्तर्गत अभी कार्यरत सभी SDCs को किये जाने वाले भुगतान की राशि BSDM के guideline के अनुरुप ही की जानी है, परन्तु भुगतान पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि DAY-NULM पोर्टल पर भी इसकी प्रविष्टि कर ली गई है।
- लाभार्थी के प्रमाणीकरण के उपरांत उनके नियोजन का कार्य एवं DAY-NULM पर प्रविष्टि में तेजी लायी जाय। उपरोक्त सभी कार्यों हेतु अपने नगर निकाय के नगर मिशन प्रबंधक को पत्र दिया जाए तथा इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

Support to Urban Street Vendors (SUSV) घटक–

- सभी नगर निकायों को यह निदेश दिया गया कि फुटपाथी विक्रेता को पहचान पत्र यथाशिध्र उपलब्ध कराकर विभाग को सूचित करें। ताकि MoHUA को इसकी सूचना भेजी जा सके।

Shelter for Urban Homeless (SUH) घटक–

- आरा, बक्सर, छपरा, दंरभंगा, किशनगंज, नवादा, पुर्णिया, शेखपुरा, जहानाबाद, बेतिया एवं लखीसराय नये अश्राय स्थल को Operational करने के लिये 2.10.2018 को समय सीमा नगर निकाय द्वारा निर्धारित कि गयी थी लेकिन अभी तक नही कराया गया है। इसे जल्द से जल्द Operational करा लिया जाय। एवं इसकी सूचना पत्र के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

Social Mobilization and Instsitutional Development (SM&ID) घटक–

- जिन स्वयं सहायता समूहो का गठन 31.03.2018 तक कर लिया गया था उनको दी जाने वाली चक्रचालित राशि (Revolving Fund) अबतक कई SHGs को नही दी गयी है। सभी नगर निकायों को ये निदेशित किया गया कि इसका निष्पादन अविल्मब किया जाये, क्योकि RF ग्रेडिंग (Grading) के उपरांत ही दी जानी थी।
- जिन नगर निकायों में ALO का गठन कर लिया गया है, वहॉ कई नगर निकायों मे ALO का पंजीकरण लम्बित पाया गया एवं पंजीकृत ALO, जिनको चक्रचालित राशि (Revolving Fund) अबतक नही दी गयी है उन सभी नगर निकायों को इस कार्य के निष्पादन हेतु निदेश दिया गया।

- CO's का चयन नही किया जा रहा है जिस हेतु निदेश दिया गया कि बिहार सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुरुप इनका चयन किया जाए। प्रत्येक 15 दिनों में उपरोक्त वर्णित सभी की सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

SEP घटक –

- Interest subvention से संबंधित चर्चा कि गयी एवं यह पाया गया कि काफी संख्या मे आवेदन नगर निकायों के स्तर पर लंम्बित है यह भी पाया गया कि अधिकांश बैंक द्वारा प्रविष्टि कि गयी लाभुकों की सूची DAY-NULM से संबंधित नही थी ।
- इस हेतु निदेश दिया गया कि नगर निकाय स्तर पर Verification नगर मिशन प्रबंधक के स्तर तथा Approval नगर आयुक्त एवं कार्यापालक पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है, जो भी लाभुक DAY-NULM योजना से संबंधित ना हो या उनकी सूची नगर निकायों पर उपलब्ध नही है उन सभी आवेदनो को निरस्त/अस्वीकृत किया जाना है। साथ ही सभी बैंकों को निकाय स्तर से पत्र के माध्यम से सभी लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी जानी है तथा सभी नगर मिशन प्रबंधक को अपने स्तर से यह निदेश दिया जाना है कि बैंको मे स्वयं जाकर यह सुनिश्चित करें की DAY-NULM से संबंधित लाभुक की प्रविष्टि ही की जाय तथा Master Data से ऐसे लाभुक जो DAY-NULM से संबंधित ना हो उनको हटवा दिया जाए। नगर निकाय द्वारा संबंधित निदेश एवं अद्यतन सूची विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

IEC घटक –

- नगर निकाय स्तर पर DAY-NULM योजना से संबंधित प्रचार–प्रसार की गति बढ़ाए जाने हेतु निदेश दिया गया।

उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

- दिनांक 09.10.2018 को नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ निकायवार लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि गत मासिक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में निम्नलिखित नगर निकायों से लंबित अंकेक्षणों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है यथा दानापुर–101/2016–17, खगौल –1179/2015–16, महाराजगंज–643/2010–11, 252/2013–14, 737/2014–15, 654/2017–18, जगदीशपुर–614/2014–15, साहेबगंज–429/2013–14, 429/2013–14, 293/2016–17, 66/2011–12, पीरो–630/2011–12, 1080/2015–16, राजगीर–1239/2015–16, 546/2012–13, 513/2011–12, 228/2008–09, बरबीघा–302/2016–17, 676/2013–14, सिलाव–547/2012–13, हवेली खड़गपुर–119/2008–09, 446/2013–14, 529/2014–15, 277/2016–17, खुशरूपुर–1187/2015–16, मखदुमपुर–449/2012–13, अमरपुर–11/2012–13, इसलामपुर–165/2011–12.
- उक्त के अलावे अन्य किसी नगर निकायों से लंबित अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए नगर निकाय के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। जहाँ राशि वसूली की जानी है उसकी

वसूली की जाय अन्यथा राशि वसूली नहीं होने की स्थिति में संबंधित दोषी के विरूद्ध FIR दर्ज करते हुए निलाम पत्र वाद भी दायर किया जाय।

- नगर निकायों के पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद की आवंटित राशि जिसका अब तक उपयोग नहीं किया जा सका है और निकायों के पी.एल. खाता/बैंक खाता में पड़ा हुआ है, उस राशि को 10 दिनों के अंदर सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान से जमा कर उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र 15 दिनों के अंदर विभाग में समर्पित किया जाय। साथ ही नगर निकायों के पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि पी.एल./बैंक खाता में रखी गई राशि के विरूद्ध पूर्व से यदि कोई योनाएँ चल रही है तो उससे संबंधित अनुमानित व्यय की राशि ही रखा जाय तथा शेष राशि को संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय और अब कोई नई योजना पूर्व प्राप्त राशि से न ली जाय।
- उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा के क्रम में नगर निकायों के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु BRJP/BUIDCo को सहायक अनुदान मद की राशि उपलब्ध कराया गया है लेकिन BRJP/BUIDCo द्वारा योजनाओं से संबंधित व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नगर निकायों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में BRJP/BUIDCo के उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 10 दिनों के अंदर सभी योजनाओं में खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित नगर निकायों को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए।
- नगर निकायों में लंबित ए.सी./डी.सी. राशि के संबंध में समीक्षा के दौरान उपस्थित सभी संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ए.सी. राशि का डी.सी. विपत्र तैयार कर शीघ्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्रेषित करें तथा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना से सम्पर्क कर डी.सी. विपत्र का समायोजन कराते हुए उससे संबंधित समायोजन पत्र विभाग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दें। इसके लिए पिछले 02 वर्षो से लगातार पत्राचार एवं निदेश दिए जाते रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 (राज्य का वित्त) की कंडिका– 3.4 की समीक्षा के दौरान नगर निगम बेगुसराय, नगर परिषद् रक्सौल, बेतिया, मोकामा, मोतिहारी नगर पंचायत रोसड़ा एवं सोनपुर के पदाधिकारियों से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उससे संबंधित साक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि लोक लेखा समिति एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर लंबित कंडिका को विलोपित कराया जा सके।
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका – 5.10 की समीक्षा के दौरान नगर निगम बेगुसराय, दरभंगा नगर परिषद् औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण उसके पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन (साक्ष्य की अभिप्रमाणित प्रति के साथ) 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करा देंगे।

- बैठक में उपस्थित सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों को माह के अंतिम दिन का कैशबुक की विवरणी एवं Bank Reconciliation Statement तैयार कर उसकी अभिप्रमाणित प्रति प्रत्येक मासिक बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- चार्टर्ड एकाउन्टेंट से सभी नगर निकायों का आंतरिक अंकेक्षण कराया जा रहा है। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के Discussion Note पर संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किए जा रहे आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के Discussion Note पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जाय तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाए गये आपत्तियों का निराकरण भी किया जाय।

<u>निकायों का वित्तीय वर्ष 2018–19 का बजट प्राक्कलन</u> :–

- निकायों के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट प्राक्कलन की समीक्षा की गई। सभी स्थानीय निकायों को 15 फरवरी 2018 तक बजट प्राक्कलन (वोर्ड में पारित करा कर) विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, परन्तु विभागीय निदेश के बावजूद भी कुछ निकायों से अभी तक बजट प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है, साथ ही साथ कुछ निकायों द्वारा विभागीय निर्देश के वाबजूद भी बजट प्राक्कलन की आपत्तियों का निराकरण करते हुए विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें स्पष्टीकरण के साथ एक सप्ताह के अन्दर बजट प्राक्कलन सभी औपचारिकताओं को पूरा कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

<u>होल्डिंग टैक्स</u> –

- निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में होल्डिंग टैक्स संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ ही निकायों द्वारा प्रथम चार माह में संतोषजनक वसूली की गई है। लेकिन अधिकांश निकायों की होल्डिंग टैक्स वसूली संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों यथा नगर निगम, छपरा, मुंगेर, बेगूसराय एवं नगर परिषद, बख्तियारपुर, जमुई, अरवल, बीहट, रक्सौल, नगकटियागंज, मधेपुरा, खगड़िया, मसौढ़ी तथा नगर पंचायत कसवा, कोईलवर, बिहियां, अरेराज, बेलसंड, सोनपुर, पकड़ीदयाल, एकमा बाजार, कांटी, बैरगनियाँ, शेरघाटी, निर्मली साहेबगंज, शिवहर, मनेर, बहादुरगंज एवं नासरीगंज की राजस्व प्राप्ति असंतोषजनक है। इसके अतिरिक्त नये परिसम्पत्तियों पर भी होल्डिंग टैक्स प्राप्ति की कार्रवाई का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत, बारसोई एवं घोघरडीहा का लक्ष्य एवं वसूली शून्य दर्शाया गया है। उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- सरकारी अर्द्ध–सरकारी एवं PSU भवनों पर होल्डिंग टैक्स/सेवाकर के बकाये के संबंध में विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में गत वित्तीय वर्ष एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के बकाये के संबंध में 21 अक्टूबर तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि संबंधित विभाग को बकाया होल्डिंग टैक्स की सूची उपलब्ध करते हुए संबंधित निकायों को भुगतान करने का निदेश दिया जा सके। साथ ही दिनांक–21.10.2018 के बाद प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार नहीं किये जाने का भी निदेश दिया गया।

Revenue (Other Sources) -

निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में Mobile Tower, Trade licence, Shop Rent Advertisment, Bus stand, other sairats, Mutation fee, Birth and Death Registration fee, Building permission fee, Any other sources से संग्रह का लक्ष्य एवं उसके विरूद्व वसूली की समीक्षा की गई। उन्हें अद्यतन वसूली प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि अन्य स्रोत से राजस्व प्राप्ति की जानकारी हो सके।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/10/2018

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–5321 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 22/10/18

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद एवं सभी नगर पंचायत/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग/MIS Cell/SPMG Cell/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/2018

प्रधान सचिव